<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1920

04 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सेल के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन

1920. सुश्री सरोज पाण्डेयः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल), जो इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है, के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन 2017 से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन अब भी लंबित है और यह संशोधन कब तक कर लिया जाएगा?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): जी हाँ।

(ख): दिनांक 01.11.2019 के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कर्मचारियों में 11,604 कार्यपालक और 59,206 गैर-कार्यपालक हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के कार्यपालक और गैर-कार्यपालक के वेतन संशोधन इस संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं और जिनमें इस तरह के वेतन संशोधन की वहनीयता और वित्तीय निरंतरता की शर्तों का उल्लेख किया जाता है।

****